कबीर ड्रीम सिटी कंपनी के निदेशकों की संपत्ति होगी जब्त

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने कबीर ड्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों की चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने रेरा के आदेश का पालन नहीं करने और पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटने के कारण यह आदेश जारी किया है। शरीक बिलाल की ओर से दायर निष्पादन वाद की सुनवाई के दौरान रेरा अध्यक्ष ने कंपनी के निदेशक के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया तथा महानिरीक्षक (निबंधन) को निर्देश दिया कि कंपनी के निदेशक द्वारा किसी भी प्रकार के निबंधन पर तत्कालीन प्रभाव से रोक लगाई जाए। वहीं, पीठ ने ग्रीन सिटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है।